



2026:AHC:62250

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 948 / 2026

कादिर

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: आकाश गर्ग

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. कार्यालय रिपोर्ट दिनांक 16.03.2026 के अनुसार, वर्तमान आवेदन की सूचना सूचनाकर्ता को उसके पिता के माध्यम से तामील करा दी गई है।
2. विद्वान ए.जी.ए. ने निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया कि वर्तमान आवेदन की सूचना सूचनाकर्ता-विपक्षी संख्या 4 और बाल कल्याण समिति, सहारनपुर-विपक्षी संख्या 3 को तामील करा दी गई है। विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत तामील पृष्ठांकन को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। हालांकि, उक्त विपक्षी पार्टियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई प्रति-शपथ पत्र दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-विपक्षी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री नीरज कुमार शर्मा को सुना गया।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- मिर्जापुर, जिला- सहारनपुर में पंजीकृत केस अपराध संख्या 151/2025, धारा 137(2), 64(1), 351(2) बी.एन.एस. और 3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना 19.08.2025 को घटित होना बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 25.08.2025 को दर्ज की गई थी। यह विलंब अभियोजन पक्ष के वाद के लिए घातक है। पीड़िता वयस्क है। अस्थिकरण परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की आयु 16 वर्ष है। आयु निर्धारण में त्रुटि की संभावना लगभग दो वर्ष होती है और इस स्तर पर इसका लाभ आवेदक के पक्ष में पड़ा जाना चाहिए। हालांकि, पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि उसकी आयु 18 वर्ष 6 माह है और उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ा था। आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है। हालांकि, पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत अपने बयान में इसके विपरीत संस्करण दिया है। यह तर्क दिया गया है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत पीड़िता के बयानों में महत्वपूर्ण विसंगतियां अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय बनाती हैं। आवेदक ने पीड़िता के साथ कोई अनुचित कृत्य नहीं किया। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 28.09.2025 से जेल में निरुद्ध है, और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्त दलीलों का सफलतापूर्वक खंडन नहीं कर सके।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और रिकॉर्ड का परिशीलन करने के बाद, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज की गई है। पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत अपने बयान में कहा है कि उसकी आयु 18 वर्ष 6 माह है और उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ा था। उक्त बयान में आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं हैं। हालांकि, पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत अपने बयान में इसके विपरीत संस्करण दिया है। बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत पीड़िता के बयानों में महत्वपूर्ण विसंगतियां अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय बनाती हैं। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा, आवेदक लगभग छह महीनों से जेल में निरुद्ध है और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद विचारण के शीघ्र संपन्न होने की कोई आशा नहीं है, और राज्य द्वारा ऐसी कोई उचित आशंका सामने नहीं लाई गई है कि आवेदक, यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा या विचारण में देरी करेगा या गवाहों को डराएगा, इसलिए, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- कादिर को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए कि वह:-

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा;
- (ii) अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,
- (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

24 मार्च, 2026

एसकेटी

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।